पड़ताल

❑ महेश जोशी

गौला नदी के इर्द-गिर्द घूमती काली कमाई

खनन-माफिया का उत्तराखण्ड में बढ़ता राजनैतिक दबदबा

कुख्यात अपराधी रमेश बम्बइया के नैनीताल की एक अदालत में शराब पीकर जाने की घटना से पुलिस-प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई है । विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जी.के. शर्मा ने रमेश चिलवाल उर्फ बम्बइया के पुलिस अभिरक्षा के दौरान शराब के नशे में होने के कारण उसे दून कारागार से लाने वाले पुलिस दल के पाँच सदस्यों सहित कालाढूंगी के थानाध्यक्ष को तलब किया । न्यायिक कार्यों में व्यवधान डालने का दोषी पाते हुए पुलिस चालक सत्यवीर सिंह को 200 रुपये का तथा कांस्टेबल आर. कुमार का मोबाइल जब्त कर एक हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई । रमेश बम्बइया की 17 अक्टूबर को विनीत जोशी हत्याकाण्ड में पेशी थी । इस मामले से शातिर और दबंग अपराधियों के साथ पुलिस की सांठ-गांठ की बू आती है । यह तो जाँच के बाद ही ज्ञात होगा कि बम्बइया तक शराब कैसे पहुँची, लेकिन इस घटना से पुलिस-प्रशासन की भूमिका संदिग्ध हुई है ।

यह वही बम्बइया है जिस पर 33 से अधिक संगीन वारदातों के मुकदमे चल रहे हैं । इस शख्स की जेब में तय डेढ़ लाख रुपये कीमत का 3.8 एम.एम. विदेशी माउजर हर समय रहता था, जब पिछली बार वह विधायक का चुनाव लड़ रहा था । विगत दस से भी अधिक वर्षों से शीशमहल गौलागेट पर उसका एकछत्र राज्य था । रॉयल्टी वसूलना तो दूर उसके डम्परों को किसी ने रोका तक नहीं । लेकिन विगत वर्ष प्रशासन द्वारा गौला गेटों पर इलैक्ट्रॉनिक धर्मकाँटे लगाने के बाद काठगोदाम के शीशमहल गेट पर नये धर्मकाँटे का टेण्डर विनीत जोशी के नाम हो जाने से रमेश बम्बइया के वर्चस्व को चुनौती मिली थी । चुगान हेतु गौला गेट खुलते ही बम्बइया ने अपने डम्पर गौला में भेजे, तो वापसी में विनीत के लोगों ने उनसे रॉयल्टी वसूली । बम्बइया इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और विनीत को अपनी जान गंवानी पड़ी । इस हत्याकाण्ड के एक सप्ताह तक शीशमहल क्षेत्र में आगजनी, पथराव, झड़पें व भगदड़ मचती रही । यह विनीत हत्याकाण्ड की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि विनीत पक्ष के खास लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से बुलाये गये आपराधिक किस्म के लोगों द्वारा फैलाई गई अराजकता थी । स्थानीय लोग तो कई-कई दिनों तक घरों से बाहर ही नहीं निकल पाये ।

तराई-भाबर में गौला आदि नदियों से चुगान की निकासी के नाम पर करोड़ों रुपये का वैध-अवैध व्यवसाय फल-फूल रहा है । इस व्यवसाय में वर्चस्व को लेकर एक-दूसरे की हत्याएँ होती रहती हैं । कुछ मामले प्रकाश में आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश मामले रेता-बजरी व पत्थर के अथाह भण्डार में दफन हो जाते हैं या फिर खनन क्षेत्र के आस-पास के जंगलों में गुम कर दिये जाते हैं । इस व्यवसाय के बल पर कई लोग सत्ता पर काबिज हैं और कई सत्ता से बाहर रहकर राज्य की पूरी राजनीति में दबदबा बनाये हुए हैं । यहाँ तक कि चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चयन में भी खनन माफियाओं का बड़ा हाथ होता है । पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक चन्दे की थैली पहुँचा दी जाती है, ताकि मनमाफिक उम्मीदवार खड़ा किया जा सके । अन्त में 35 से 45 प्रतिशत मतदान के बीच के एक चौथाई से कम मतों के बल पर चुने गये प्रतिनिधि जनता पर राज करते हैं ।

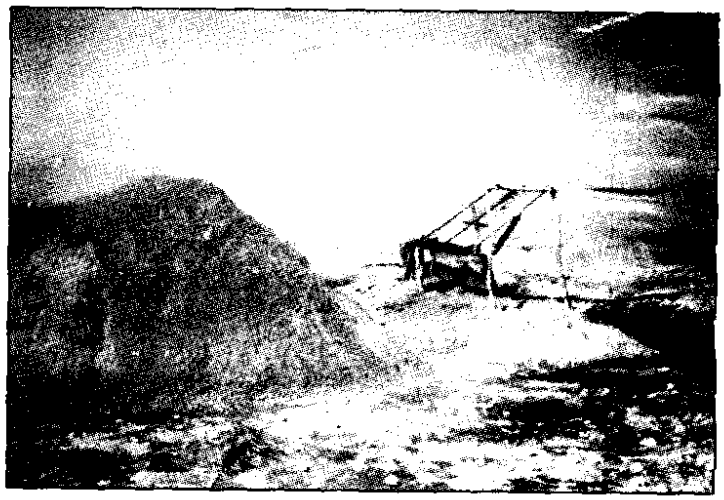

रेता-बजरी व पत्थर निकासी के निरंकुश कारोबार से मैदानी क्षेत्र में भू-क्षरण और उर्वर भूमि को नुकसान पहुँच रहा है तो पर्वतीय क्षेत्रों का सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है । हल्द्वानी-लालकुँआ क्षेत्र में होने वाले अधिकांश अपराध कहीं न कहीं खनन व्यवसाय से जुड़े हुए पाये जाते हैं । यहाँ की नदियों से उत्तराञ्चल सरकार को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होता है । निजी ठेकेदारों, सम्बन्धित विभागों व उनके अधिकारी, कर्मचारियों तथा राजनीति से जुड़े लोगों की मोटी कमाई कराने वाली गौला नदी उत्तराखण्ड की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित कर रही है । साथ ही अपराध में मजबूत पकड़ रखने वाले कुछ शातिर लोगों की यह नदी निजी मल्कियत बनती जा रही है ।

राज्य गठन के बाद नित्यानन्द स्वामी की अन्तरिम सरकार द्वारा नदियों का खनन निजी ठेकेदारों से लेकर वन-क्षेत्र से लगी नदियों का खनन कार्य कराने का जिम्मा उत्तराञ्चल वन विकास निगम तथा राजस्व क्षेत्र की नदियों का खनन कार्य कुमाऊँ मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सौंपा गया । खनन नीति के अनुसार ये निगम अपने-अपने क्षेत्रों में निजी ठेकेदारों को खनन की अनुमति देकर उनसे राजस्व वसूलते हैं और इन निगमों द्वारा पूर्व से तय रॉयल्टी सरकार को अदा की जाती है ।

इलैक्ट्रॉनिक धर्मकाँटा लगाये जाने से पूर्व निकासी सत्र वर्ष 2003-04 में उन्तीस लाख बासठ हजार आठ सौ पैंतीस कुन्तल वैध तथा इससे कई अधिक खनिज की निकासी गौला नदी से अवैध रूप से की गई । प्रभागीय वनाधिकारी, पूर्वी तराई वन प्रभाग से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार विभाग की मानक मदों में जमा धनराशि के अलावा रॉयल्टी तथा वन-निगम से वर्ष 2004-05 में कुल छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख सैंतालीस हजार एक सौ बारह रुपया पन्द्रह पैसा अतिरिक्त प्राप्त हुआ । गौला नदी से कुल राजस्व चालीस करोड़ सत्तानब्बे लाख इकसठ हजार दो सौ बत्तीस रुपया पन्द्रह पैसा प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष से सत्रह करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार नौ सौ अड़तालीस रुपया पैंसठ पैसा अधिक है । लाख सख्ती बरतने के बावजूद इसी अनुपात में अवैध निकासी भी हुई होगी । जब केवल गौला नदी से उप खनिजों की निकासी से सरकार को 40 करोड़ से अधिक का शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है तो अन्य नदियों तथा अन्य खनिजों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता होगा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । राज्य में शराब के बाद खनन व्यवसाय राजस्व प्राप्ति का एक ऐसा उद्योग है, जिससे इस तन्त्र से जुड़ी सरकारी मशीनरी के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर्स, ठेकेदार, स्टोन क्रेसर मालिक व राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही मीडिया से जुड़ा एक तबका खूब फल-फूल रहा है ।

इस बार गौला के निकासी गेट कुछ विलम्ब से

खुलने के कारण इससे जुड़े व्यवसायी गौला मजदूरों को आगे कर कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके थे। 13 अक्टूबर 2005 से कुछ निकासी गेट खोल दिये गये थे। गौला नदी तक पहुँचने के कुल 12 निकासी गेट बनाये गये हैं। इनमें शीशमहल, राजपुरा, इन्दिरानगर, चोर गलिया, देवरामपुर, मोटा-हल्दू, हल्दूचौड़, लालकुआँ द्वितीय, गोरा पड़ाव, बेरीपड़ाव, आँवला चौकी तथा लालकुँआ प्रथम शामिल हैं। उप-खनिजों के चुगान व निकासी का सत्र। अक्टूबर से 30 जून तक नौ माह निर्धारित किया गया है। शेष तीन माह- जुलाई, अगस्त, सितम्बर में चुगान कार्य बन्द रहता है। पर जानकार बताते हैं कि चोरी-छिपे खनन व निकासी होती रहती है।

गौला नदी में रेता-बजरी व पत्थर खनन व्यवसाय में उ.प्र. व बिहार के 40 हजार से भी अधिक मजदूर लगे रहते हैं। बेरोजगारी व गरीबी से ग्रस्त ये मजदूर अपने मुल्क से दो रोटी के जुगाड़ में गौला की खाक छानते हैं। वन निगम में पंजीकृत होने के बाद ही ये निकासी के काम में जुट पाते हैं। नियमानुसार इनका समूह बीमा, जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराना, पेयजल व स्वास्थ्य-चिकित्सा व्यवस्था आदि की सुविधा दी जाती है। लेकिन यह सब आँकड़ों में ही उलझा होता है। ये मजदूर खनन क्षेत्रों के आस-पास या निकासी गेटों के नजदीक 10x10 फीट अथवा 10x15 फीट की घास-फूस की झोपड़ी बनाकर 10-15 लोग एक साथ रहते हैं। इसी में खनन सम्बन्धी हथियार व उनका जरूरी सामान भी रहता है। सूखे घास-फूस व पतले डण्डों की बनी इन झोपड़ियों की पूरी बस्ती में कभी खाना बनाते वक्त चूल्हे से निकली चिंगारी पूरी बस्ती को खाक कर देती है। अक्सर मई-जून की तप्ती धूप में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। इन्हीं मजदूरों की बस्तियों में अक्सर धावा बोलकर लुटेरे इनका सब कुछ लूट भी ले जाते हैं। प्रातः चार बजे से शाम 5 बजे तक हाड़तोड़ मेहनत करने वाले इन मजदूरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, जबकि इन्हीं के बलबूते यह व्यवसाय फल-फूल रहा है।

15 वर्ष पूर्व गौलापार दुर्गा मन्दिर के पास आदर्श गाँव से उजाड़े गये 25-30 परिवारों ने लालकुआँ गौलागेट के पास अपनी बस्ती जमा रखी है। इन मजदूरों को मताधिकार भी प्राप्त है पर कोई राजनीतिक दल इनके आवास की व्यवस्था व अन्य परेशानियों को दूर नहीं करता। 70 वर्ष की वृद्धा दुधारी देवी कहती हैं-उनके चार पुत्र गौला खनन की भेंट चढ़ गये। कुपोषण व अन्य बीमारी से पीड़ित पुत्रों का वह उपचार नहीं करा पाई। घास-फूस व पॉलीथीन ओढ़े झोपड़ियों में इनके परिवार अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हैं। गौलागेट के दुकानदार त्रिलोक सिंह बताते हैं कि इनकी समस्याओं के सम्बन्ध में विधायक मन्त्रियों के अलावा शासन को बार-बार लिखे जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती।

खनन-नीति के अनुसार नदियों से उप-खनिजों की निकासी के लिए सिर्फ 75 से.मी. चुगान किया जा सकता है। इससे अधिक गहरा खनन करने पर जुर्माना हो सकता है। पर जब हम लालकुआँ, हल्दूचौड़ के निकासी गेटों से गौला नदी में गये, तो पाया कि गौला के तट निर्मम तरीके से खोदे गए हैं। हमें कई लोगों ने यह भी बताया कि तमाम सख्ती के बावजूद अवैध निकासी जारी है। अवैध खनन करने वालों की सत्ता में अच्छी पकड़ होती है। यह भी जानकारी मिली कि उच्चाधिकारी जुर्माने का एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। जिसे पूरा करने का एक नाटक रचा जाता है। अधिकारियों के निरीक्षण की पूर्व सूचना खनन क्षेत्रों में पहुँच जाती है। मानक से अधिक चुगान करने वालों पर जुर्माना काट दिया जाता है, पर इसमें अधिकाँश नये लोग फँसते हैं। पुराने व्यवसायी या तो काम बन्द करवा देते हैं या लालची अधिकारियों के लिए मीट-मुर्गे आदि का

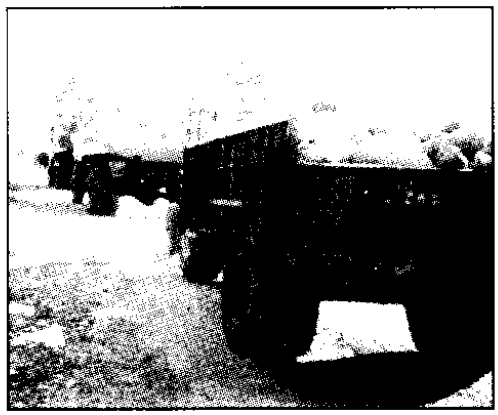

इन्तजाम किये रखते हैं।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सम्पदा पर माफिया काबिज होते जा रहे हैं। गौला नदी से रेता-बजरी व पत्थर-खनन व्यवसाय में इन्हीं का वर्चस्व है। इन्हीं की बदौलत हल्द्वानी-लालकुँआ क्षेत्र में 200 से अधिक ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के माध्यम से 300 से भी अधिक ट्रक-रेता, बजरी, पत्थर ढोते हैं। लालकुआँ के एक ट्रांसपोर्ट्स व्यवसायी सरदार हरवंश की शिकायत है कि राज्य बनने के बाद से दोहरे कर की मार से यह व्यवसाय प्रभावित हो गया है। प्रति ट्रक रु. 900 (छोटे वाहन) तथा 1500 रुपया (बड़े वाहन) रॉयल्टी इनसे वसूली जाती है। तीन माह निकासी बन्द रहने से भी नुकसान होता है। यहाँ 'लालकुआँ ट्रक एण्ड ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन' तथा 'लालकुआँ ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन' नाम से दो संगठन काम करते हैं, जो मजदूरों को आगे कर अपनी बात मनवाने की लिए दबाव बनाते हैं।

हल्द्वानी व लालकुआँ के बीच तीन स्टोन क्रेसर हैं। ये विशालकाय क्रेसर राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के ही हैं जिनका राजनीति में बड़ा दबदबा है। चूंकि हमारे शुभचिन्तकों ने खनन क्षेत्र व स्टोन क्रेसरों के अन्दर की दहशतजदा व खौफनाक वातावरण से पूर्व ही सचेत कर दिया था इसलिए हमने इनके अन्दर जाने की जहमत नहीं उठाई। साथी पत्रकार विशेष विद्रोही ने विगत वर्ष गौला खनन की अनकही कहानी को समझने की कोशिश की तो उनको कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। वे तब दो स्टोन क्रेसरों के अन्दर जाने का दु:साहस कर चुके थे। वे बताते हैं कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों की हालत खनन मजदूरों से अच्छी नहीं है। बाहरी व्यक्ति से बोलने की इजाजत इनको नहीं होती है। 70-80 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाले इन मजदूरों से 140 या 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दस्तखत अथवा अंगूठा लगवा लिया जाता है।

हल्द्वानी से लालकुआँ के बीच गौला निकासी सीजन में सड़क के दोनों ओर जगह-जगह रेता-बजरी व पत्थरों के अम्बार दिखाई देते हैं। बताया जाता है-इस व्यवसाय से जुड़े भू-माफिया पहले किसी जमीन को किराये पर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह जमीन बेकार हो जाती है, तो जमीन मालिक मजबूरन वह जमीन उन्हें बेच देता है। फिर वे उसमें प्लाट बनाकर महँगे दामों में बेच देते हैं। जिस जमीन में रेता-बजरी के विशालकाय ढेर लगे होते हैं। तेज हवा में रेत आस-पास के खेतों में उड़कर उनकी उर्वरा-शक्ति को नष्ट कर देती है। वह जमीन न कृषि योग्य रह जाती है और न ऐसी जगह की जमीन को खरीददार मिलता है। फिर वही माफिया आस-पास की जमीन भी कौड़ियों के भाव खरीद लेता है। इस तरह ये भू-माफिया एक तरफ नदियों को बेतरतीब खोद कर मैदानी क्षेत्रों में भू-क्षरण से तबाही को आमंत्रित करते हैं वहीं उपजाऊ व बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। इस पूरे धन्धे में जो अपराध पनप रहे हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं।

उत्तराञ्चल की राजनीति शराब के साथ ही अब खनन व भू-माफियाओं के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जानकार बताते हैं वर्तमान में 16 विधायकों व दो सांसदों को चुनाव के दौरान एक बड़ा हिस्सा अपने अकूत धन का ये माफिया भेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी राज्य का विरोध करते थे। पहाड़ व मैदान का भेद कर जनता में फूट डालते थे। राज्य बनने के बाद तराई को अलग करने, राज्य की भूमि सम्बन्धी नीति का विरोध करने के बाद अब अपनी सुविधा के लिए परिसीमन कराये जाने की बात करने लगे हैं। यही कारण है कि आम आदमी को अस्थाई राजधानी देहरादून में मन्त्रियों/अधिकारियों से मिलने कई दिनों तक इन्तजार करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है पर इस व्यवसाय से जुड़े किसी उद्योगपति के परिजन की शादी, नामकरण या वर्थडे पार्टी में बड़े-बड़े नेता मन्त्री व अधिकारी इनके आमंत्रण पर पहुँच जाते हैं। ●

(आलेख सी.एम.सी. फैलोशिप के अन्तर्गत तैयार किया गया है)